कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 1614 / 2–6 दिनांक, गोरखपुर,जनवरी 08/ 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय– भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,देवरिया–कसया मार्ग एस0एच0–79 के कि0मी0 11 (चैनेज सं0–100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या–418 , ग्राम–सिरसिया, तहसील व जिला देवरिया ,देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 0.5 वृक्षो के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सदर्भ– आपके कार्यालय का पत्रांक 604/11सी–एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022, दिनांक 04.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या के क्रम मे अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण मे प्रभागीय निदेशक सा0वा0 वन प्रभाग देवरिया ने अपने पत्रांक 1166/2–6 दिनांक 03.11.2023 द्वारा विन्दू सं0–1 का निस्तारण कर संसोधित आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जिसे आनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी आपकी सेवा सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर ।

संख्या– अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक– 1166 / 2-6 देवरिया, दिनांक, नवम्बर 03 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषयः– **जनपद–देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के कि0मी0 सं0–11 (चैनेज सं0–100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या–418, ग्राम–सिरसिया, तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–604/ 11–सी/ एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 04.09.2023 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या–758/2–6 दिनांक 20.09.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या निम्न प्रकार हैः–

क0 सं0	आपत्ति	आपत्ति का आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच–2 केस की सत्यापित प्रति, एच–2 केस के प्रशमित प्रमाण–पत्र, दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना एवं उल्लंघन के फलस्वरूप की गयी कार्यवाही को ऑनलाईन पार्ट–।। में अपलोड नहीं किया गया है। अतः अपलोड कर प्रेषित करें।	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच–2 केस की सत्यापित प्रति संलग्न है तथा एच–2 केस के प्रशमित प्रमाण–पत्र एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर ऑनलाईन पार्ट–।। में अपलोड कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न है)।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

निहित

मु0व0सं0
09.11.2023

2402
09-11-2023

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

/DM.BABU

पुस्तक सं० DCN-39/2023 पेज नं०

वन विभाग उत्तर प्रदेश

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(- - -) व निर्वाण [illegible]

रिपोर्ट नं० .... दिनांक 13-6-2022 रेन्ज देवरिया बीट रामपुर कारखाना I

रेन्ज केस नम्बर 08/2022-23 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता सरिता सिंह w/o अवधेश सिंह ग्राम - कठिनईयाँ पो० पथरदेवा था० - बघौचघार जि० - देवरिया (उ०प्र०)

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता ① सुभाष चन्द्र यादव वन दरोगा ② विकास कुमार सिंह व० र०

3. कथित अपराध का पूरा विवरण देवरिया - कसया मार्ग KM 11-12 के मध्य दापी पटरी पर ग्राम - सिरसिया था० - रामपुर कारखाना जि० - देवरिया में एक पेड़ अर्जुन दर्जी व्यास 20-30 तथा 35×22.86 = 800.1 वर्ग मी० संरक्षित भूमि का बिना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण ×

प्रभारी [signature] क्षे० नि० 15/06/22

5. कुल हानि का मूल्यांकन राजकीय सम्पत्ति।

छाया प्रति प्रमाणित।

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान ×

[signature] SDO (D)

उप प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी देवरिया

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

महोदय,

आज दि० 13-6-2022 को प्राप्त शिकायत के अनुसार समय लगभग 02 बजे देवरिया - कसया मार्ग KM 11-12 के मध्य दापी पटरी पर ग्राम - सिरसिया थाना - रामपुर कारखाना जि० देवरिया स्थित वेदान्ता फ्यूल स्टेशन पर पहुंचा गया। जहाँ पर एक पेड़ अर्जुन का ठूंठ पाया गया, जिसका समस्त प्रकाष्ठ मौके से गायब था। एवं 35×22.86 = 800.1 वर्ग मी० संरक्षित भूमि का बिना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना पाया गया। पूछ ताछ पर पता चला कि वेदान्ता फ्यूल के मालिक सरिता सिंह w/o अवधेश सिंह के द्वारा उक्त पेड़ को कटवाया गया है, एवं संरक्षित इस प्रकार कालम नं० 1 में वर्णित अभियुक्त द्वारा भा० वन अ० 1927 की धारा 33 व वन सं० अ० 1980 का उल्लंघन किया गया है। आगे की कार्यवाही जारी है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[signature]

केस काटने वाले का हस्ताक्षर

दिनांक- 13-6-2022 20

पद (सुभाष चन्द्र) व० द०

बाद प्रस्तुत की जायेगी।

दिनांक 13.6.2022 20

प्रभागीय अधिकारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज, देवरिया रेन्ज

39/09/2022-23

प्रभागीय केस नं० 20 क्षेत्रीय वनाधिकारी देवरिया की

रेन्ज अधिकारी — देवरिया | प्रस्तुति के आधार पर केस को

मु०-62900/- वसूल कर, केस

कृपया अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेजें। को प्रशमित करने की प्रस्तुति की जाती है।

प्रभागीय निदेशक
उप प्रभागीय वनाधिकारी देवरिया
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

दिनांक 15/06/2022. 20

अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट महोदय, आपके आदेशानुसार उक्त केस की जाँच [illegible] अन्तिम जाँच रिपोर्ट

साथ मौके पर किया गया। देवरिया कसया मार्ग Km 11-12 के मध्य [illegible] के [illegible] [illegible] स्थापित है जिसके आगे एक [illegible] पर अभियुक्त [illegible] पेट्रोल पम्प [illegible] एक राजकीय वृक्ष का ठूंठ पाया गया [illegible] अनुमानित मूल्य 35122.06-00 [illegible] [illegible] पेट्रोल पम्प के आगे [illegible] भारतीय वन अधि० 1927 की धारा 33 [illegible] के पास कोई वैध कागजात नहीं था। अभियुक्त [illegible] अपराध स्वीकार किया और [illegible] [illegible] और लिखित बयान भी दिया है जो साथ में संलग्न है।

अतः अभियुक्त से उचित प्रतिकर लेते हुए केस को प्रशमित करने की सिफारिश की जाती है।

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
देवरिया

रेन्ज अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट तथा सिफारिश

R.C. N. 09/2022-23

(प्रपत्र 05)
9-5

महोदय, उक्त केस की जाँच श्री [illegible] वन दरोगा से करायी गयी इनके जाँच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया [illegible] रसीद संख्या E3 No. 129946/55 दिनांक 1-8-2023 के द्वारा रू.50,000=00 एवं वृक्ष के अर्जन का प्रतिकर E3 No. 129946/56 दिनांक 2-8-2023 के द्वारा 12900=00 वसूल कर लिया गया है।

अतः उक्त केस को प्रशमित करने की संस्तुति की जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी

अन्तिम निर्णय

वनराजि अधिकारी छायाप्रति प्रमाणित।

केस..के उपरोक्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार यह

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्र०
देवरिया

....के कम्पाउण्ड किया जाता है और बरामद लकड़ियों को मिलान करने की अनुमति दी जाती है शेष...रूपया जिनकी लकड़ियाँ नहीं बरामद हुई है।

उनकी श्री..., से वसूल करके केस ड्राप किया जाता है।

अपराध से सम्बन्धित सामान जो क्रम सं०...पर अंकित हैं।

रीलीज जप्त किया जाता है। कम्पाउण्ड करने के पहले नाजायत जोत की जमीन खाली करवा ली जाय, तथा तद्नुसार सर्टिफिकेट रेन्ज अफसर दें।

क्षेत्रीय वनाधिकारी देवरिया व उप प्रभागीय वनाधिकारी देवरिया की प्रति/प्रस्तुति के आधार पर केस को मु० - 62900/- वसूल कर केस को प्रशमित करने का आदेश दिया जाता है।

प्रभागीय निदेशक
देवरिया

दिनांक...............................20

R. J. [illegible]
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

R
28-10-22

TC
आ.ला.का.
R
28-10-22

<u>बयान</u>

मैं कि सारिका सिंह प० श्री अवधेश सिंह नि० कंडीपट्टी पो० पथरदेवा थाना बघौचघाट जिला देवरिया की निवासी हूँ। मेरा नाम [illegible] सरिता सिंह हो गया है, मेरा पेट्रोल पम्प देवरिया-कसया मार्ग Km 11 [illegible] गाटा नं० [illegible] पर है। मेरे पेट्रोल पम्प के आगे रास्ते में एक अण्डरग्राउण्ड [illegible] [illegible] सरकार द्वारा लगाया गया था। जो गाड़ी आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। जो किसी गाड़ी के धक्के से गिरकर टूट गया। और 35×22.06 = 800.1 [illegible] जमीन पेट्रोल पम्प के उपयोग में कर रही हूँ। जिसका मेरे पास कोई वैध कागजात नहीं है।
मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। और नियमित करना चाहती हूँ। यह आवेदन बिना किसी जोर दबाव के दे रही हूँ।

बयान कर्ता हस्ता०
सारिका सिंह

सारिका सिंह प० श्री
अवधेश सिंह
कंडी पट्टी,
पथरदेवा
देवरिया।

बयान मेरे समक्ष लिया गया।
(signature)
([illegible])
[illegible]

सत्यापित
(signature)
क्षेत्रीय [illegible] अधिकारी

संलग्नक -2

एच–2 केस प्रशमित प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया–कसया मार्ग एस0एच0–79 के कि0मी0 11 (चैनेज ज सं0–100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0–418, ग्राम–सिरसिया, तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित क्षेत्र 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है जिस पर विभागीय एच–2 केस संख्या–09/2022–23 इजरा किया गया है जिसका प्रतिकर की धनराशि ई–3 सं0–12943/55 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि ई–3 सं0–12943/55 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि रू0 50,000.00 तथा एक अर्जुन का वृक्ष का पातन का प्रतिकर ई–3 सं0–1294656 दिनांक 02.08.2023 द्वारा रू0 12900.00 जमा कराकर केश प्रशमित किया गया है प्रशमित एच–2 केस की छाया प्रति संलग्न है।

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

/DM.BABU

संलग्नक-3

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना

उल्लंघन की तिथि 12.03.2021

उल्लंघन का एरिया/क्षे0–0.075028 हे0

ईको क्लास/हरियाली घनत्व–ECO Class-III घनत्व 0.4

N.P.V. की दर – 1228590.00 रू0 रिट

दण्डात्मक N.P.V. - 0.075028x1228590

= 92178.65

या–92179.00

ब्याज = $\frac{92179 \times 12 \times 3}{100}$ = 33184.44 = 33184.00

या– 33184.00

दण्डात्मक एन0पी0वी0 + ब्याज = 92179 + 33184.00

= 125363.00

देय दण्डात्मक एन0पी0वी0 = $\frac{125363.00 \times 25}{100}$ = 25072.60

या– 25073.00

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

/DM.BABU

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया – कसया मार्ग पर (SH-79) की०मी० न० 11 (चैनेज सं०-100) के मध्य दायी पट्टी पर गाटा सं०- 418 ग्राम- सिरसिया तहसील + जि० देवरिया में वेदान्ता फ्यूल्स स्टेशन का संचालन 12/3/2021 को हुआ है। B.P.C. द्वारा इस पेट्रोल पम्प को प्रथम लोड (स्टाक) प्राप्त हुआ है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है। पेट्रोल पम्प का संचालन 12/3/2021 को हुआ है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
Sarika Singh.
सारिका सिंह
W/o श्री अवधेश सिंह
ग्रा० - कन्धी पट्टी
पो० - पचरुखेवा
जि० - देवरिया।

सेवा में

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग औरैया

विषय:-> जनपद-औरैया में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा औरैया-कन्नौज मार्ग (SH-79) के KM न०-11 (चैनेज स०-100) के मध्य पटरी पर गाटा स०-418 ग्राम बिरसिया तहसील व जिला-औरैया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधो के पातन की अनुमति के संबंध

संदर्भ:-> मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ० लखनऊ पत्रांक 604/11-बी-FP/UP/Approach/153338/2022 लखनऊ दिनांक 04 202

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना था कि प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा H_2 केस का निस्तारण कराकर आप की कार्यालय में जमा कर दिया गया था तथा पेट्रोल पम्प की संचालन तिथी 12/3/2021 से प्रारम्भ की गयी था जिसका प्रमाण-पत्र भी जमा कर दिया गया था

प्रार्थी

फर्म/प्रयोक्ता एजेन्सी

Sarika Singh

सारिका सिंह

W/o अवधेश कुमार सिंह

महिना
Month: मार्च 2021

उत्पाद: MS   Product: पेट्रोल

दिनांक Date 1	दिनांक Opening Stock 2	प्राप्ति Receipt 3	कुल Total 4=(2+3)	वास्तविक बिक्री Actual Sale 5=27-28	अंतिम स्टाक Closing Stock 6=(4-5)	वास्तविक कुल डिप स्टाक Actual Dip Stock 7=11+14	अंतर Variation 8=(7-6)	Tank I डिप Dip 9	Tank I W.D 10	Tank I स्टाक Stock 11	Tank II डिप Dip 12	Tank II W.D 13	Tank II स्टाक Stock 14	पंप/Pump I Op. Meter Reading 15	Metered Sale 16
1.3.21															
2.3.21															
3.3.21															
4.3.21															
5.3.21															
6.3.21															
7.3.21															
8.3.21															
9.3.21															
10.3.21															
11.3.21															
12.3.21	[illegible]		3000	1225	1775	1759	16	114	[illegible]						
13.3.21	1775		1775	212	1563	1563	0	[illegible]	[illegible]						
14.3.21	1563		1563	01	1562	1546	6	34	NIL						
15.3.21	1562		1562	3	1499	1468	31	10	NIL						
16.3.21	1499	6KL	7499	155	7344	7307	37	13	NIL						
17.3.21	7344	-	7344	912	6432	6382	50	137	NIL						
18.3.21	6432		6432	971	5461	5373	88	125	NIL						
19.3.21	5461	-	5461	1128	4333	4259	74	116	NIL						
20.3.21	4333	6KL	10333	947	9386	9288	98	95	NIL						
21.3.21	9386	-	9386	823	8563	8449	114	165	NIL						
22.3.21	8563		8563	1082	7481	7356	125	155	NIL						
23.3.21	7481		7481	1036	6445	6318	127	138	NIL						
24.3.21	6445		6445	982	5463	5373	90	135	NIL						
25.3.21	5463		5463	1073	4390	4257	131	123	NIL						
26.3.21	4390	5KL	10390	1245	9145	8845	300	113	NIL						
27.3.21	9145	-	9145	1186	7859	7654	205	166	NIL						
28.3.21	7859		7859	1185	6674	6378	296	155	NIL						
29.3.21	-														
30.3.21	6674		6674	829	5845	5606	239	125	NIL						
31.3.21	5845	8KL	13845	1497	12348	9533	15	175	NIL						

Total: 37KL   Total sale: 27152

FY- 2020-21

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED

[illegible]

ORIGINAL FOR RECIPIENT
INVOICE

INVOICE No.: 1119377162
DATE/TIME: 31.12.2020/13:32:10

मार्च (9) (87)

SHIP TO PARTY	222801	SOLD TO PARTY	222801		1115
[illegible] FUELS		[illegible] FUELS		SHIPMENT DOC NO [illegible]	
BHARAT PETROLEUM DEALERS		BHARAT PETROLEUM DEALERS		DELIVERY NO [illegible]	
[illegible]		[illegible]		BY ROAD TRUCK/TL No. [illegible]	
[illegible]		[illegible]		TRANSPORTER CODE [illegible]	
[illegible]		[illegible]		[illegible] TRANSPORT COMPANY	
[illegible]		PAN No : [illegible]		Seal/Lock No [illegible]	

Seal no. 0165947 X 3

Product Description/ Product Code	Quantity PKG/UoM	Rate per Unit (Rs)	Total Value (Rs)	Taxes/ Other Charges Type/Rate	Amount (Rs)
[illegible]	[illegible] KL	[illegible] /KL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	9 KL	[illegible] /KL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		

[illegible] की तारीख [illegible] समय 15 [illegible]
[illegible] तारीख ____ समय ____
[illegible] तारीख ____ समय ____
[illegible] खाली करने [illegible] तारीख ____ समय ____
[illegible] की तारीख ____ समय ____

[illegible]

[illegible]

REMARKS ON T/L RECEIPT

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
TOTAL AMOUNT	[illegible]

TOTAL VALUE : [illegible] (Rs. [illegible] Only)

[illegible]

"Document is digitally signed"

Received the Goods mentioned above herein in good condition

Signature

Signer: DS Bharat Petroleum Corporation Limited
Date: Thu, Dec [illegible] IST

(1)

H-2 केश प्रशमित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद - देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया - कसया मार्ग SH-79 के किमी० 11 (ज सं०-100) के बायें दायीं पटरी पर गाटा सं०-418, ग्राम - सिरसिया, तहसील जिला - देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से सुरक्ष मार्ग तक आवागमन में प्रभावित क्षे० 0.075028हे० संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग में ~~05 हे०~~ बिना स्वीकृति के किया गया है जिसपर विभागीय H-2 केश संख्या 09/2022-23 ~~दि० 01-08-2022~~ द्वारा किया गया है जिसका प्रतिकर की धनराशि ई-3 सं०-12943/55 दि० 1.8.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि रु 50,000-00 जमा कराकर केश प्रशमित किया गया है प्रशमित H-2 के की छाया-प्रति संलग्न है।

प्रभा०नि०
है

(2) ⟹

दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना

⟹

उल्लंघन की तिथि — ~~12-03-2021~~ ✓ (12-06-2022)

उल्लंघन का रकबा/क्षे० - 0.075028हे०

ईको क्लास/हरियाली घनत्व — Eco class-III घनत्व 0.4

N.P.V की दर — 1228590-00 रु०/हे०

दण्डात्मक N.P.V — 0.075028 X 1228590

= 92178.65

या - 92179-00

ब्याज $= \dfrac{92179 \times 12 \times 3}{100}$ = ~~22122.96~~ 33184.44 = 33184-00

या — ~~22123-00~~ 33184-00

दण्डात्मक N.P.V + ब्याज = 92179 + ~~22123-00~~ 33184-00

= ~~114302-00~~ 125363-00

देय दण्डात्मक N.P.V = $\dfrac{\text{~~114302-00~~ } 125363\text{-}00 \times 20}{100}$

= ~~22860.04~~ 25072-60

या — ~~22860-00~~ — प्रभा०नि०

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 1011 / 2-6 देवरिया, दिनांक, अक्टूबर 18 / 2023

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी

देवरिया ।

विषय :- **जनपद–देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच–79) के कि0मी0 सं0–11 (चैनेज सं0–100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0–418 ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 604/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 04.09.2023 ।

स्मार,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में एच–2 केस जारी किया गया था जिसका प्रतिकर भी जमा किया गया है परन्तु एच–2 केस जो प्रशमित हुआ है उसकी प्रति अभी तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण सन्दर्भित पत्र में लगायी गयी आपत्ति का आख्या उच्च स्तर को नहीं भेजा जा सका है। जिसके कारण प्रभाग स्तर पर पोर्टल पर लम्बित है।

अतः सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण में प्रशमित एच–2 केस की छाया प्रति तत्काल उपलब्ध करावें, ताकि ऑन लाईन आख्या उच्च स्तर को भेजा जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

पत्रांक 1011 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–प्रभारी आशुलिपिक, कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(विकास यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

/DM.BABU

04/09

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांकः– 604 / 11–सी–FP/UP/Approach/153338/2022, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 04 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर

विषयः– जनपद–देवरिया में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस०एच०–79) के किमी० सं०–11 (चैनेज सं०–100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०–418, ग्राम–सिरसिया, तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू०पी०/06/135/2023/एफ०सी०/201, दिनांक 26.06.2023 एवं आपका पत्रांक–447/2–6, दिनांक 22.08.2023

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का अभाव पाया गया हैः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं०–1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किये गये उल्लंधन के फलस्वरूप एच०–2 केस की सत्यापित प्रति, एच०–2 केस प्रशमित प्रमाण पत्र, दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना एवं उल्लंधन के फलस्वरूप की गयी कार्यवाही को ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड नहीं किया गया है। अतः अपलोड कर प्रेषित करें।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया
रजि० सं० 1532
फाइल सं० 2-6
दिनांक.. 23-9-2023

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांकः– 604 /11–सी–FP/UP/Approach/153338/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
2. टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय, बैतालपुर डिपों, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक– 758/2-6 दि०– 20-09-2023

प्रतिलिपि:– प्रभागीय निदेशक सा०वा० प्रभाग देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कमियों का निराकरण कर आख्या प्रस्तुत करें, ताकि उच्च स्तर को आख्या ऑनलाइन प्रेषित किया जा सके।

मु०व०सं०
गोरखपुर

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

ई-3 बुक नं० 12943 उप प्रभागीय वनाधिकारी नं० 55

सा० वा० प्र०नं०, देवारवा

वन प्रभाग देवरिया दिनांक 01-08-2023

श्री [illegible] सिंह पत्नी [illegible] सिंह नि० [illegible] जिला देवरिया

रुपया 50,000-00 (रु० पचास हजार रुपये मात्र) प्राप्त किया।

बाबत [illegible] सं० 02/2023-24 [illegible] की धनराशि

दिनांक 01-08-2023

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

पद नाम..................

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी

देवरिया रेंज